न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 14/2017

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. प्रकाश पुत्र बींजराज जाति जैन निवासी चवा जिला बाड़मेर (मैसर्स गौतम जनरल स्टोर चवा जिला बाड़मेर का मुनिम)
2. गौतम पुत्र बींजराज जाति जैन निवासी चवा जिला बाड़मेर (मैसर्स गौतम जनरल स्टोर चवा जिला बाड़मेर का मालिक)
3. बाबूलाल पुत्र राणामल वडेरा जाति जैन निवासी ढोला डूंगरी बाड़मेर (मैसर्स बाबूलाल राणामल वडेरा बाड़मेर का मालिक)

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री महेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.06.2018

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा दौराने गश्त दोपहर 4.20 बजे मैसर्स गौतम जनरल स्टोर चवा पहुंचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम प्रकाश पुत्र बींजराज जाति जैन निवासी चवा जिला बाड़मेर (मैसर्स गौतम जनरल स्टोर चवा

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जिला बाड़मेर का मुनिम) बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में आम जनता को बिक्री हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ घी ब्राण्ड केशव (500 एमएल जार पैकिंग) के 15 जार 500–500 एमएल के रखे हुए पाये गये। घी ब्राण्ड केशव में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को रूपये 500/– नगद अदा कर घी ब्राण्ड केशव 500–500 एम.एल. के कुल 04 जार सीलबन्द खरीदे एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी. 705 खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। प्रत्येक पैकेट पर लेबल चिपकाया। जिस पर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी. 705 चिपकाकर मजबूत व मोटे धागे से बांधकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित कर प्रार्थी व गवाहो के पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी.705 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाद्य सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाद्य पदार्थ घी केशव ब्रांड की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर से एलएस/1196/एक्ट/2016/1228 दिनांक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

25.10.2016 को अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में खाद्य पदार्थ घी केशव ब्रांड का नमूना पी. 705 Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी केशव ब्रांड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करना पाये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति,फार्म नम्बर 5 ए,नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.705 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पत्रावली न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोक अदालत कोर्ट केम्प न्यायालय हाजा में रखी गई थी। प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभिभाषक प्रथम एवं विप्रार्थीगण के वकील उपस्थित हुए।

3. विप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाना चाहता है। विप्रार्थीगण के विरूद्व नरमाई का रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से करवाया जायें।

4. दोनो पक्षो को सुना गया। सहायक लोक अभियोजक प्रथम द्वारा जाहिर किया गया कि परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1196/एक्ट/2016/1228 दिनांक 25.10.2016 के अनुसार विप्रार्थीगण द्वारा बेचा जा रहा घी केशव ब्रांड का नमूना पी. 705 Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पाया गया जिसके लिये अभियुक्त विप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है। विप्रार्थीगण पर खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 अनुसार जुर्माना आरोपित किया जाकर, उसे दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विप्रार्थीगण अभियुक्त प्रकाश वगैरा द्वारा घी केशव ब्रांड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)उल्लंघन किया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में Misbranded Under section 3 (1)(zf)(c)(i) of food Safety and Standard Act-2006 पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित होने के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 में अभियुक्त विप्रार्थी संख्या 01 प्रकाश व विप्रार्थी संख्या 02 गौतम प्रत्येक पर रूपये 3000/– अक्षरे रूपये तीन–तीन हजार मात्र एवं विप्रार्थी संख्या 03 बाबूलाल पर रूपये 5000/– अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 06.06.2018 से एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट ★ बाड़मेर (राज.) ★ सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट,बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर